(च) वर्ष 1997-98 के दौरान "कृषि में प्लास्टिक का उपयोग" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार को 100.00 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 के लिए गुजरात का परिव्यय 226.63 लाख रुपये है।

विवरण

गुजरात सरकार को कृषि में प्लास्टिक का उपयोग संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आबंटित निधियों के ब्यौरे

(लाख रूपये में)

क्र. सं.	वर्ष	गुजरात सरकार को आबंटित कुल निधियां	गुजरात सरकार द्वारा आवंटन	
			कच्छ को	बनासकांठा को
1.	1994-95	208.75	12.60	5.40
2.	1995-96	262.00	19.09	9.89
3.	1996-97	196.45	14.74	12.92

कीटनाशकों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाना

4021. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आजकल कीटनाशकों का इतना अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनके कुछ अंश प्रत्येक खाद्यान्न, फलों और सब्जियों आदि में आ जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कीटनाशकों के इस्तेमाल को कम करने और खाद्य-पदार्थों में इनकी मात्रा को हानिरहित स्तर तक लाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) और (ख) कीट नियंत्रण के लिए निर्धारित कृषि पद्धतियों के अनुसार प्रयोग किये गये कीटनाशियों के अवशेष खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों पर अधिक मात्रा में नहीं रहते हैं। कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित पंजीकरण समिति कीटनाशियों के प्रयोग का अनुमोदन करते समय खुराक और अंतराल अवधि का निर्धारण करती है। इस निर्धारित अंतराल अवधि से यह सुनिश्चित होता है कि कीटनाशियों के अवशेष खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत निर्धारित साह्य सीमा से अधिक न हों।

(ग) कीटनाशियों के अधिक मात्रा में प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) समेकित कीट प्रबन्ध (आई.पी.एम.) नीति अपनाना।

(2) जैव-कीटनाशियों और पादप उत्पादों का संवर्धन और कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत उदार मानदण्ड के रूप में इनका पंजीकरण करना।

(3) हानिकारक कीटनाशियों के प्रयोग को समाप्त करना/रोकना/प्रतिबंधित करना।

(4) "कृषक क्षेत्र स्कूल" स्थापित करके और कृषकों, कृषि विस्तार अधिकारियों और विषय विशेषज्ञों को आई.पी.एम. प्रशिक्षण देने के लिए "पूरे मौसम का प्रशिक्षण" कार्यक्रम चला कर आई.पी.एम. में मानव संसाधन विकास करना।

(5) चावल, कपास, सब्जियों, सरसों, मूंगफली, अरहर और चने की आई.पी.एम. पद्धतियों सम्बन्धी सामग्री का प्रकाशन और उनका व्यापक वितरण।

(6) राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं के माध्यम से जैव-नियंत्रण कारकों का व्यापक स्तर पर उत्पादन और इनके प्रयोग का प्रदर्शन करना। इसके अतिरिक्त, किसानों को इनके उत्पादन की तकनीकों के बारे में भी शिक्षित किया जा रहा है।

देश में प्रतिबंधित नाशी जीव नाशकों का इस्तेमाल किया जाना

4022. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में अब भी ऐसे कई नाशी जीव नाशकों का प्रयोग किया जा रहा है जो दूसरे देशों में प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और